क्रम संख्या–03

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 03 जनवरी, 2024 ई0

पौष 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 02/XXXVI (3)/2024/58(1)/2023

देहरादून, 03 जनवरी, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023' पर दिनांक 01 जनवरी, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 02, वर्ष–2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अध्याय–1	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	6
2.	परिभाषाएं	6–10
	अध्याय–2	
	विश्वविद्यालय की स्थापना	
3.	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें	10
4.	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना	11
5.	प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं संस्तुति	11
6.	'आशय पत्र' जारी किया जाना एवं प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आख्या जमा किया जाना	11
7.	विश्वविद्यालय की स्थापना	11–12
	अध्याय–3	
	विश्वविद्यालय का निगमन एवं उसके उद्देश्य	
8.	विश्वविद्यालय का निगमन	12
9.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	13
10.	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	13–16
11.	प्रवेश एवं शैक्षणिक मानक	16
12.	विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए खुला होना	16
13.	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों हेतु उपबन्ध	17
14.	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति का न होना	17
	अध्याय–4	
	विश्वविद्यालय के अधिकारी	
15.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	17–18
16.	कुलाध्यक्ष	18
17.	अध्यक्ष	18–19
18.	कुलपति	19–20

19.	कुलपति की शक्तियां एंव कर्तव्य	20–21
20.	प्रतिकुलपति	21–22
21.	संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / निदेशक	22
22.	कुलसचिव	22
23.	वित्त अधिकारी	22
24.	परीक्षा नियंत्रक	22–23
25.	अन्य अधिकारी	23
	अध्याय–5	
	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	
26.	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	23
27.	व्यवस्थापक मण्डल	23–25
28.	प्रबन्धन मण्डल	25
29.	विद्या परिषद्	25
30.	परीक्षा मण्डल	26
31.	पाठ्यक्रम मण्डल	26
32.	योजना मण्डल	26
33.	वित्त समिति	26
34.	विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण	26
35.	किसी प्राधिकरण या निकाय के सदस्यों हेतु अनर्हता	26
	अध्याय–6	
	परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम	
36.	परिनियम बनाने की शक्ति	27–28
37.	अध्यादेश बनाने की शक्ति	28–29
38.	विनियम बनाने की शक्ति	29
39.	परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों का प्रकाशन	29
40.	दीक्षान्त समारोह	30
41.	विश्वविद्यालय का प्रत्यायन	30
	अध्याय–7	
	विश्वविद्यालय की निधि एवं खाते	
42.	स्थायी विन्यास निधि	30
43.	सामान्य निधि	30–31
44.	विकास निधि	31
45.	निधियों का अनुरक्षण	31
46.	वार्षिक प्रतिवेदन	31

47.	वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा	31–32
48.	विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा	32
	अध्याय–8	
	राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की भूमिका	
49.	विश्वविद्यालय द्वारा नियामक निकायों के नियम, विनियम, मानक आदि का अनुसरण	32
50.	सूचना और अभिलेखों की मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति	32
51.	राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की भूमिका	33
52.	शुल्क	33–34
53.	दण्ड का प्रावधान	34–35
	अध्याय–9	
	विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन	
54.	विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन	35–36
55.	विघटन/परिसमापन के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय	36
	अध्याय–10	
	प्रकीर्ण और संक्रमणकालीन उपबन्ध	
56.	शिक्षकों का कर्त्तव्य	36
57.	परीक्षा संबंधी कार्य करने की बाध्यता	36
58.	विवरणी और जानकारी	36
59.	कर्मचारियों की सेवा शर्तें आदि	36–37
60.	अपील का अधिकार	37
61.	शिकायत निवारण समिति	37
62.	भविष्य निधि एवं पेंशन	37
63.	प्राधिकरणों और निकायों के गठन संबंधी विवाद	37
64.	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	37
65.	रिक्तियों के कारण प्राधिकरणों और निकायों की कार्रवाई का अमान्य न होना	38
66.	सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के प्रति संरक्षण	38
67.	विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की विधि	38
68.	सरकार की नियम बनाने की शक्ति	38
69.	कठिनाईयों के निवारण की शक्ति	38
70.	उत्तराखण्ड के न्यायालय में विवादों का निस्तारण	38
71.	अध्यारोही प्रभाव	38

72.	निरसन और व्यावृत्ति	39
73.	संक्रमणकालीन उपबन्ध	39
74.	अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय	39

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024)

गुणवतापूर्ण, बहु–विषयक एवं उद्योग–प्रासांगिक उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों को निगमित व स्थापित करने तथा विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का निरसन कर इस अधिनियम के अधीन निगमित व स्थापित करने तथा उनके कृत्यों को समान रूप से विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 है।
		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।
		(3)	यह उस दिनॉक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
परिभाषाएं	2.	जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, –	
		(क)	"**अधिनियम**" से उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 अभिप्रेत है;
		(ख)	"**विद्या परिषद्**" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
		(ग)	"**प्राधिकरण**" से विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अभिप्रेत है;
		(घ)	"**व्यवस्थापक मण्डल**" से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;
		(ङ)	"**प्रबन्धन मण्डल**" से विश्वविद्यालय का प्रबन्धन मण्डल अभिप्रेत है;
		(च)	"**निकाय**" से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा बनाया गया निकाय अभिप्रेत है;

		(छ)	"प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन शुल्क)" से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है जिसे निर्धारित व सार्वजनिक रुप में प्रदर्शित शुल्क के अतिरिक्त नकद या अन्य किसी मद में लिया जाये;
		(ज)	"महाविद्यालय/संस्थान/विद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित व प्रबन्धित महाविद्यालय या संस्थान या विद्यालय अभिप्रेत है;
		(झ)	"परीक्षा नियंत्रक" से विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है;
		(ञ)	"संकायाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय के किसी संकाय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
		(ट)	"विभाग" से अध्यादेशों या विनियमों द्वारा किसी विषय या विषय के समूह हेतु नामनिर्दिष्ट विभाग अभिप्रेत है;
		(ठ)	"निदेशक" से विश्वविद्यालय के किसी संस्थान, विश्वविद्यालय के किसी केन्द्र सहित, का प्रधान अभिप्रेत है;
		(ड)	"कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी जिसमें अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;
		(ढ)	"मूल्यांकन समिति" से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु गठित मूल्यांकन समिति अभिप्रेत है;
		(ण)	"संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय जिसमें कुछ विभाग सम्मिलित हो अभिप्रेत है;
		(त)	"वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित समिति अभिप्रेत है;
		(थ)	"वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक" से विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक अभिप्रेत है;
		(द)	"उच्च स्तरीय समिति" से इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों की संस्तुति करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति अभिप्रेत है;
		(ध)	"उच्च शिक्षा" से 10+2 स्तर के ज्ञान से आगे के पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

			(न)	"पर्वतीय क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र, ब्लॉक या जिले, जिसे उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपनी नवीनतम अधिसूचना में पर्वतीय क्षेत्र परिभाषित किए गए हों, अभिप्रेत हैं;
			(प)	"छात्रावास" से इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरुप विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के संघटक या अनुरक्षित महाविद्यालयों या संस्थानों के छात्रों के लिए आवास की एक इकाई अभिप्रेत है;
			(फ)	"मुख्य परिसर" से उत्तराखण्ड राज्य में स्थित निजी विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर, जिसमें एक ही स्थान पर कम से कम पांच शैक्षणिक विभागों सहित विश्वविद्यालय का मुख्यालय सम्मिलित हो, अभिप्रेत है;
			(ब)	"गैर परिसर केन्द्र/परिसर" से निजी विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड की सीमा के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार की पूर्वानुमति से मुख्य परिसर से बाहर इसके संघटक इकाई के रुप में स्थापित, संचालित एवं अनुरक्षित केन्द्र/परिसर अभिप्रेत है;
			(भ)	"अपतटीय परिसर" से भारत सरकार एवं अतिथेय देश की पूर्वानुमति से निजी विश्वविद्यालय द्वारा देश के बाहर इसकी संघटक इकाई के रूप में स्थापित, संचालित एवं अनुरक्षित परिसर अभिप्रेत है;
			(म)	"विश्वविद्यालय के अधिकारी" से विश्वविद्यालय के अधिकारी अभिप्रेत है;
			(य)	"अध्यादेश" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के अध्यादेश अभिप्रेत है;
			(यक)	"स्थायी निवासी" से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र है;
			(यख)	"विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
			(यग)	"अध्यक्ष" से विश्वविद्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
			(यघ)	"प्राचार्य" से विश्वविद्यालय के किसी परिसर कॉलेज का प्राचार्य अभिप्रेत है;

		(यङ)	"प्रति कुलपति" से विश्वविद्यालय का प्रति–कुलपति अभिप्रेत है;
		(यच)	"कुलसचिव" से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;
		(यछ)	"विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत है;
		(यज)	"नियामक निकाय" से समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित नियामक निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय भेषजी परिषद्, भारतीय उपचर्या परिषद्, भारतीय दन्त परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वास्तुकला परिषद्, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, भारतीय पुनर्वास परिषद्, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् आदि अभिप्रेत है;
		(यझ)	"अनुसूची" से इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
		(यञ)	"प्रायोजक निकाय" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली:–
			(एक) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) या राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य अधिनियम के अधीन लाभ के बिना कार्य करने वाली उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था; या (दो) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम सं0 2 वर्ष 1882) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास; या (तीन) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी, या (चार) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी अभिप्रेत है;
		(यट)	"राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

		(यठ)	"परिनियम से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत है;
		(यड)	"अध्ययन केन्द्र" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा सन्दर्भ में छात्रों को सलाह देने, परामर्श देने या अन्य कोई आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है;
		(यढ)	"छात्र" से निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रम जिसमें अनुसंधान भी सम्मिलित है हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
		(यण)	"अध्यापक" से नियामक निकाय द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार नियुक्त कोई आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् किसी छात्र को विद्या प्रदान करना अथवा अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन करना या अन्य किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन करना अपेक्षित हो, अभिप्रेत है;
		(यत)	"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;
		(यथ)	"विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य में निगमित व स्थापित निजी विश्वविद्यालय, अभिप्रेत है;
		(यद)	"कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है;और
		(यध)	"कुलाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।
अध्याय –2 विश्वविद्यालय की स्थापना			
विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें	3.		प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम के अधीन निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं संचालित करने हेतु, राज्य सरकार और नियामक निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर अधिसूचना द्वारा जारी दिशानिर्देशों और निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पालन करेगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना	4.		प्रायोजक निकाय, जो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के अधीन, निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक हों, राज्य सरकार को एक आवेदन देंगे, जिसमें अन्य सूचनाओं के साथ प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्य की रुप–रेखा एवं दृष्टि (विजन) प्रस्ताव तथा परियोजना आख्या एवं ऐसा ब्यौरा एवं ऐसा शुल्क सम्मिलित होगा जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।
प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं संस्तुति	5.		विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव तथा परियोजना आख्या की प्राप्ति पर, राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग, विहित प्रणाली से प्रस्तावों का मूल्यांकन करने हेतु एक मूल्यांकन समिति एवं प्रस्तावों की संस्तुति हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगा।
'आशय पत्र' जारी किया जाना एवं प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आख्या जमा किया जाना	6.		धारा 5 के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थापन किया जाना औचित्यपूर्ण है, तो वह प्रायोजक निकाय को एक 'आशय पत्र' जारी करेगी।
विश्वविद्यालय की स्थापना	7.	(1)	यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु धारा–3 की सभी शर्तो व धारा–6 के अन्तर्गत जारी आशय पत्र के निबन्धों एवं शर्तो का अनुपालन कर लिया गया है तो वह, धारा–8 की उपधारा (4) के प्रावधानों के क्रम में विश्वविद्यालय को निगमित करने के पश्चात राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नाम एवं स्थान में निजी विश्वविद्यालय को स्थापित व संचालित करने की अनुमति देगी।
		(2)	राज्य सरकार विश्वविद्यालय को कार्य संचालन प्रारम्भ करने के लिए, जारी किये गये प्राधिकार–पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय अपना कार्य प्रारम्भ करेगा।
		(3)	विश्वविद्यालय स्थापित करने के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम की अनुसूची–2 में उल्लिखित किया जायेगा।
		(4)	विश्वविद्यालय के लिए वचनबद्ध/अधिग्रहीत/निर्मित/सृजित भूमि, भवन और अन्य आधारभूत संरचना का उपयोग जिस प्रायोजनार्थ इसका अधिग्रहण अथवा निर्माण किया गया है, के सिवाय अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा।

		(5)	विश्वविद्यालय की समस्त संपत्तियां विश्वविद्यालय में निहित रहेंगी और इन संपत्तियों पर विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य का व्यक्तिगत अथवा मालिकाना हक नहीं होगा।
		(6)	विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रमों को किसी अन्य संस्थानों/कालेजों या निजी अनुशिक्षण संस्थानों के साथ फ्रैंचाइजी व्यवस्था के द्वारा प्रदान नहीं करेगा, चाहे पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित किया जाना हो।
		(7)	विश्वविद्यालय, अस्तित्व में आने के पांच वर्षों के पश्चात् तथा मुख्य परिसर के विकसित होने के उपरान्त राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अन्य परिसर, गैर परिसर केन्द्र, अपतटीय परिसर, एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा: परन्तु यह कि विश्वविद्यालय द्वारा, मुख्य परिसर से भिन्न अन्य परिसर, गैर परिसर केन्द्र, अपतटीय परिसर एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने से पूर्व समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/नियामक निकायों द्वारा जारी विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

अध्याय –3
विश्वविद्यालय का निगमन एवं उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय का निगमन	8.	(1)	इस अधिनियम के लागू होने पर अनुसूची–1 में निर्दिष्ट, विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित व स्थापित माना जायेगा।
		(2)	अध्यक्ष, कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्धन मण्डल एवं विद्या परिषद् के सदस्य, कुलसचिव, जो इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में इस प्रकार पद ग्रहण किये हुए हैं, विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।
		(3)	विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी एक–सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।
		(4)	राज्य सरकार, समय–समय पर राज्य विधानसभा में अधिनियमित कर एवं अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी नवीन निजी विश्वविद्यालय को निगमित कर सकेगी या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विश्वविद्यालय के संचालन एवं कार्य करने के क्षेत्र को घटा, बढ़ा या बदल सकेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य	9.	विश्वविद्यालय का उद्देश्य, विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रचार, प्रसार और अभिवृद्धि सुनिश्चित करना होगा। विश्वविद्यालय छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को निम्नलिखित के सम्वर्द्धन के लिये आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगाः–	
		(क)	शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुर्नसंरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य ढंग भी सम्मिलित हैं, की नवीन पद्धतियों और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;
		(ख)	विभिन्न शाखाओं में अध्ययन एवं शोध;
		(ग)	बहुविषयक व अन्तर्शाखीय अध्ययन एवं शोध;
		(घ)	राष्ट्रीय एकीकरण, देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का समावेश;
		(ङ)	औद्योगिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सीखने की प्रक्रिया को और अधिक संवेदनशील बनाना तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्र के समग्र विकास की चुनौतियों हेतु विश्वविद्यालय को इनसे निकटता से जोड़ना; और
		(च)	सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य उद्देश्यों का अनुसरण करना।
विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	10.	नियामक निकायों और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित दिशा–निर्देशों तथा प्रतिमानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात्,–	
		(क)	विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, में शिक्षण हेतु उपबन्ध करना तथा शोध और ज्ञान व कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;
		(ख)	शैक्षिक दिग्गजों एवं अकादमिक प्रतिष्ठा के व्यक्तियों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;
		(ग)	ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन व परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र एवं उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना और उचित व पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

		(घ)	कुलाध्यक्ष की पूर्वानुमति से मानद उपाधियाँ प्रदान करना;
		(ङ)	नियामक निकायों और राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार निदेशक पदों, आचार्य पदों, सह–आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और तद्निमित्त नियुक्तियां करना;
		(च)	प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;
		(छ)	विभिन्न उपयुक्त पद्धतियों यथा संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाऐं, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इत्यादि के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करना;
		(ज)	उद्योग, शिक्षा या अनुसंधान जगत से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;
		(झ)	देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान या औद्योगिक व सामाजिक संगठनों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य करना, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;
		(ञ)	शोध और शिक्षा के लिए ऐसे स्कूलों, संकायों, विभागों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;
		(ट)	अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
		(ठ)	विश्वविद्यालय के निरन्तर एवं आत्मनिर्भर विकास हेतु 'समग्र निधि' का सृजन करना;
		(ड)	छात्रों के लिये छात्रावासों और शिक्षकों व कर्मचारियों के लिये आवासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण करना;
		(ढ)	विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के संचालन हेतु उपबन्ध करना;
		(ण)	शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना;
		(त)	विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए राज्य सरकार और अन्य नियामक निकायों के प्रतिमानो के अनुसार मानक अवधारित करना, जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो सकती है;

		(थ)	शुल्क और अन्य प्रभारों का निर्धारण करना, मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;
		(द)	सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की, आचरण नियमावली सहित, सेवा शर्तो का निर्धारण करना;
		(ध)	महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
		(न)	विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और प्रवर्तित करना और इस सम्बन्ध में ऐसे विनिश्चय करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;
		(प)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संवर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;
		(फ)	प्रायोजक निकाय की पूर्व अनुमति एवं परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुरुप विश्वविद्यालय की चल सम्पत्ति को निस्तारित करना;
		(ब)	विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और प्रबन्ध करना;
		(भ)	व्यवस्थापक मण्डल तथा प्रायोजक निकाय के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या प्रतिभूति सुरक्षा पर धन जुटाना, एकत्रित करना, स्वीकार करना तथा ऋण लेना;
		(म)	यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का निस्तारण या उसमें उसका कोई अधिकार या हक होने या उस पर सृजित किसी देनदारी से उसे पृथक नहीं किया जायेगा;
		(य)	संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यो, परामर्शदाताओं, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम निदेशकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;
		(यक)	समरूप उद्देश्यों वाली संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं तथा धर्मार्थ संस्थाओं को दान या अनुदान देना या सहायता प्रदान करना;
		(यख)	वाह्य अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और दायित्व ग्रहण करना;

		(यग)	शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन तथा संचालन करना;
		(यघ)	संविदाओं को निष्पादित करना, कार्यान्वित करना, उसमें परिवर्तन या उसे समाप्त करना;
		(यङ)	अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थाओं की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना तथा दी गयी ऐसी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;
		(यच)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियामक निकाय तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से दूरस्थ पद्धति में शिक्षा प्रदान करना; और
		(यछ)	ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन व उसके सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषांगिक या सहायक हों।
प्रवेश और शैक्षणिक मानक	11.	(1)	विश्वविद्यालय में संचालित सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश, अधिनियम, तद्धीन बनाये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा अवधारित किये गये प्रतिमानों के अनुसार, प्रवेश समिति द्वारा किये जायेंगे।
		(2)	विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक मानक, नियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।
		(3)	अध्यापक–छात्र अनुपात विनियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।
विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए खुला होना	12.	विश्वविद्यालय सभी लिंग और वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द सदस्य, छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किए जाने के लिए या उसमें पद धारण करने के लिए या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे: परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिए निवारित किया जाना नहीं समझा जायेगा।	

उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों हेतु उपबन्ध	13.	(1)	इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत अथवा शपथ पत्र में घोषित प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित होंगी: परन्तु यह कि यदि उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित सीटों में से कुछ सीट रिक्त रहती हैं, तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्तिम तिथि निर्धारित कर प्रकाशित की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित अन्तिम तिथि तक यदि उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी उपलब्ध न हो तो इन सीटों को विश्वविद्यालय अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भर सकेगा: परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों हेतु आरक्षित सीटों पर राज्य सरकार की तत्समय आरक्षण नीति लागू की जायेगी।
		(2)	निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क में उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन प्रवेश लेने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों को कम से कम 25 (पच्चीस) प्रतिशत अथवा शपथ पत्र में घोषित प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
		(3)	समूह "ग" एवं "घ" के समस्त पदों/रिक्तियों पर उत्तराखण्ड राज्य के अर्हता प्राप्त स्थायी निवासियों को नियुक्ति दी जायेगी।
किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति का न होना	14.		विश्वविद्यालय के अपने स्वयं के संघटक संस्थान/महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र व प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र हो सकते हैं, किन्तु विश्वविद्यालय को किसी भी महाविद्यालय/संस्थान आदि को सम्बद्ध करने की शक्ति नहीं होगी।

अध्याय –4
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी	15.		विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होगें, अर्थात्:–
		(क)	कुलाध्यक्ष;
		(ख)	अध्यक्ष;
		(ग)	कुलपति;
		(घ)	प्रति–कुलपति;
		(ङ)	संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक;
		(च)	कुलसचिव;
		(छ)	वित्त अधिकारी;

		(ज)		परीक्षा नियंत्रक; तथा
		(झ)		ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी परिभाषित एवं घोषित किया जाय।
कुलाध्यक्ष	16.	(1)		उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
		(2)		कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगें।
		(3)		मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।
		(4)		कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–
			(क)	विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज या सूचनाऐं मांग सकेंगे।
			(ख)	कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय व किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, परिनियम, नियम, विनियम अथवा अध्यादेश के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें, और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी संबंधित, पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
अध्यक्ष	17.	(1)		अध्यक्ष की नियुक्ति यथा विहित प्रक्रिया, परिलब्धियों, निबन्धनों एवं शर्तों का अनुसरण करते हुये पॉच वर्ष की अवधि के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा की जायेगी : परन्तु यह कि प्रायोजक निकाय द्वारा उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
		(2)		अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा। वह व्यवस्थापक मण्डल का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
		(3)		यदि अध्यक्ष की राय में, किसी भी प्रकरण पर, जिसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियाँ अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त हो, में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।
		(4)		यदि किसी भी समय प्रत्यावेदन या अन्यथा, और ऐसी जॉच, जो आवश्यक

				समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि अध्यक्ष का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो प्रायोजक निकाय द्वारा परिनियमों में विहित प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष को अपना पद छोड़ने के लिए कहा जा सकेगा : परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।
		(5)		अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् ,–
			(क)	प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण (नियुक्तियां करने वाला) के रुप में किसी अध्यापक या समकक्ष के विरुद्ध दिये गये विनिश्चय की अपील सुनने के लिए अध्यक्ष अपीलीय प्राधिकारी होगा।
			(ख)	विश्वविद्यालय की कोई सूचना या अभिलेख की मांग करना;
			(ग)	इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार कुलपति की नियुक्ति करना;
			(घ)	इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार कुलपति को हटाना; तथा
			(ङ)	ऐसी अन्य शक्तियां जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।
कुलपति	18.	(1)		कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों एवं अधिकारियों के माध्यम से कार्य करेगा।
		(2)		कुलपति सुदृढ़ प्रशासनिक कुशाग्रता के साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद् होगा। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक निकायों द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों में निर्धारित योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
		(3)		कुलपति की नियुक्ति, उपधारा (2) के अनुसार योग्यता की शर्त पूरी करने पर और परिनियमों द्वारा विहित निबन्धनों एवं शर्तों पर, अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए, उपधारा (4) के अन्तर्गत गठित खोज–सह–चयन समिति द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों के पैनल में से की जायेगी: परन्तु यह कि व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के अधीन कुलपति पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा:

				परन्तु यह और भी कि नियामक निकाय द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त करने पर कोई भी व्यक्ति कुलपति नियुक्त नहीं किया जायेगा अथवा पद धारण नहीं करेगा।
		(4)		उपधारा (3) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होगें, अर्थात्,–
			(क)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 01 (एक) सदस्य;
			(ख)	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 01 (एक) सदस्य;
			(ग)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट 01 (एक) सदस्य;
			(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन;
			(ङ)	व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामनिर्दिष्ट 02 (दो) सदस्य, जिनमें से 01 (एक) को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति का संयोजक के रुप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
		(5)		उपधारा (4) के अन्तर्गत गठित समिति, योग्यता के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे अध्यक्ष को अग्रसारित करेगी: परन्तु यह कि यदि खोज–सह–चयन समिति द्वारा संस्तुति किये गये पैनल से यदि अध्यक्ष सन्तुष्ट/सहमत नहीं है तो वह असहमति का कारण देते हुए, केवल एक और बार नये पैनल की मांग करसकेगा।
		(6)		यदि किसी समय, प्रत्यावेदन के द्वारा या अन्यथा ऐसी जांच के उपरान्त जैसा कि आवश्यक हो, परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि कुलपति के कार्यकाल की निरन्तरता विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो अध्यक्ष, कारण बताते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में निर्दिष्ट तिथि पर, कुलपति को अपना कार्यालय त्यागने को कह सकता है : परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा।
कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य	19.	(1)		कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक अधिकारी एवं कार्यपालक होगा, जो विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों/संस्थानों /विद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा। वह ,–

			(क)	कुलाध्यक्ष एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;
			(ख)	अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों का कार्यान्वयन करेगा;
			(ग)	प्रबंधन मंडल, विद्या परिषद् एवं वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;
			(घ)	अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
			(ङ)	समुचित प्रशासन, समन्वय, निधियों के उपयोग, समय पर परीक्षा का आयोजन तथा परिणामों की घोषणा तथा विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगा; तथा
			(च)	विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठक में बोलने एवं अन्यथा प्रतिभाग करने का अधिकारी होगा परन्तु इस उपधारा के आधार पर मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होगा।
		(2)		यदि कुलपति की राय में किसी भी प्रकरण पर, जिस हेतु इस अधिनियम के अधीन शक्तियां उसके नियंत्रण के अधीन किसी प्राधिकरण को प्रदत्त है, पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह उचित समझे तथा तत्पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र अवसर पर अपनी कार्रवाई की आख्या ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को देगा, जो साधारण क्रम में इस प्रकरण पर कार्रवाई करता: परन्तु यह कि यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो असंतुष्ट व्यक्ति को ऐसा निर्णय संसूचित किये जाने या संज्ञान में आने की तिथि से 02 (दो) माह की अवधि के भीतर अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होगा, जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
		(3)		कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जायेगा या व्यवस्थापक मंडल या अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की जाये।
प्रति–कुलपति	20.	(1)		प्रतिकुलपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा कुलपति की अनुशंसा पर परिनियम द्वारा विहित रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये या अध्यादेशों और विनियमों में उपबन्धित किया जाए।

		(2)	उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
		(3)	प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन करने में कुलपति की सहायता करेगा।
संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य/ निदेशक	21.	विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय/संघटक महाविद्यालय/संस्थान/विद्यालय हेतु संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी एवं वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे सभी कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।	
कुलसचिव	22.	(1)	कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।
		(2)	कुलसचिव अपने पद के कारण प्रबन्धन मण्डल एवं विद्या परिषद् का सदस्य सचिव एवं अध्यापकों की चयन समिति का सचिव और वह वित्त समिति तथा अन्य समितियों या निकायों, जैसा कि परिनियमों एवं अध्यदेशों द्वारा विहित हो, का सदस्य होगा।
		(3)	कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सम्पत्ति और सामान्य मोहर की समुचित अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा तथा उसे विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी।
		(4)	कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से किसी संविदा को करने व दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने की शक्ति होगी।
		(5)	कुलसचिव ऐसी समस्त सूचना प्राधिकरणों के समक्ष रखने के लिए बाध्य होगा जो उनके संव्यवहार के लिए आवश्यक हो। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों को करेगा जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित किया जाय या कुलपति तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किया जाय।
वित्त अधिकारी	23.	(1)	वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाए।
		(2)	वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।
परीक्षा नियंत्रक	24.	(1)	परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित किया जाय।

		(2)	परीक्षा नियंत्रक परीक्षा मण्डल का सदस्य सचिव होगा।	
अन्य अधिकारी	25.	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा की निबन्धन व शर्तें, शक्तियां व कर्त्तव्यऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।		
		अध्याय –5 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण		
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	26.	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–		
		(क)	व्यवस्थापक मण्डल;	
		(ख)	प्रबन्धन मण्डल;	
		(ग)	विद्या परिषद्;	
		(घ)	परीक्षा मण्डल;	
		(ङ)	पाठ्यक्रम मण्डल;	
		(च)	योजना मण्डल;	
		(छ)	वित्त समिति; तथा	
		(ज)	ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जाए।	
व्यवस्थापक मण्डल	27.	(1)	व्यवस्थापक मण्डल विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण होगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित शक्तियों के प्रयोग से इसके कार्यकलापों को नियंत्रित करेगा।	
		(2)	विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:–	
			(क)	अध्यक्ष –अध्यक्ष;
			(ख)	कुलपति –सदस्य सचिव;
			(ग)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित दो शिक्षाविद्;
			(घ)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित दो शिक्षाविद्;
			(ङ)	प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो अपर सचिव स्तर से न्यून न हो;
			(च)	अध्यक्ष द्वारा प्रशासन/कॉर्पोरेट/प्रबन्धन/सूचना तकनीकी (आई0टी0) आदि क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित 03 (तीन) व्यक्ति; एवं

			(छ)	प्रायोजक निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित 05 (पाँच) व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक शिक्षाविद् होगा।
		(3)	व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में न्यूनतम 02 (दो) बैठकें ऐसी तिथि व ऐसे स्थान पर करेगा, जैसा कि अध्यक्ष निश्चित करे: परन्तु यह कि अध्यक्ष, जैसा उचित समझे या व्यवस्थापक मण्डल के कुल सदस्यों के अन्यून एक चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित अपेक्षा पर, व्यवस्थापक मण्डल की विशेष बैठक आयोजित कर सकता है।	
		(4)	व्यवस्थापक मण्डल की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:–	
			(क)	विश्वविद्यालय की वृहद नीतियों का निर्धारण करना और समय–समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, सुधार और विकास हेतु उपाय सुझाना;
			(ख)	विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;
			(ग)	व्यवस्थापक मण्डल द्वारा लिये गये विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा लिये गये विनिश्चयों को संशोधित या परिवर्तित या निरसित करना;
			(घ)	विश्वविद्यालय के बजट, वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों का अनुमोदन;
			(ङ)	प्रबन्ध मण्डल द्वारा बनाये गये नये या अतिरिक्त परिनियमों और अध्यादेशों को अनुमोदित करना या पूर्व में बने परिनियमों व अध्यादेशों को संशोधित या निरसित करना;
			(च)	विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक विघटन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
			(छ)	विश्वविद्यालय के खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना एवं प्रबन्धन करना;
			(ज)	राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन;
			(झ)	विश्वविद्यालय की सभी निधियों का अनुरक्षण एवं पर्यवेक्षण करना;
			(ञ)	विश्वविद्यालय की भावी योजनाओं एवं विकास के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

			(ट)	ऐसे निर्णय लेना व ऐसे कदम उठाना, जो विश्वविद्यालय के विकास व उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय होंगें; और
			(ठ)	ऐसे अन्य कृत्य को करना जैसे विहित किया जाय।
प्रबन्धन मण्डल	28.	(1)	प्रबन्धन मण्डल विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक प्राधिकरण होगा।	
		(2)	प्रबन्धन मण्डल में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् ,–	
			(क)	कुलपति –अध्यक्ष;
			(ख)	प्रति–कुलपति, यदि कोई हो;
			(ग)	प्रायोजक निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट 05 (पांच) विशिष्ट व्यक्ति;
			(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो अपर सचिव स्तर से न्यून न हो;
			(ङ)	अध्यक्ष द्वारा चक्रीय आधार पर नामनिर्दिष्ट अधिकतम 03 (तीन) संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक;
			(च)	अध्यक्ष द्वारा कुलपति की संस्तुति पर ज्येष्ठता व चक्रीयक्रम में नामनिर्दिष्ट दो आचार्य;
			(छ)	वित्त अधिकारी; तथा
			(ज)	कुलसचिव –सदस्य सचिव।
		(2)	प्रबन्धन मण्डल की बैठक इस प्रकार आयोजित की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।	
		(3)	प्रबन्धन मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कार्यो का निष्पादन करेगा जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।	
विद्या परिषद्	29.	(1)	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक प्राधिकरण होगी और परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण, समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।	
		(2)	विद्या परिषद् का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जाय।	

परीक्षा मण्डल	30.	परीक्षा मण्डल का गठन, इसकी शक्तियां एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित किया जाय।		
पाठ्यक्रम मण्डल	31.	पाठ्यक्रम मण्डल का गठन, शक्तियां एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।		
योजना मण्डल	32.	(1)	योजना मण्डल विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन *प्राधिकरण* होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना और शैक्षणिक सहायता प्रणाली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक निकायों के प्रतिमानों को पूरा करे।	
		(2)	योजना मण्डल का गठन, उनके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।	
वित्त समिति	33.	(1)	वित्त समिति, वित्तीय मामलों के नीति निर्धारण व प्रबन्धन हेतु विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय प्राधिकरण होगी।	
		(2)	वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।	
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण	34.	परिनियमों द्वारा घोषित विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।		
प्राधिकरण या निकाय के सदस्यों हेतु अनर्हता	35.	(1)	ऐसा व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने से अनर्ह होगा यदि वहः–	
			(क)	मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और किसी सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;
			(ख)	अनुन्मुक्त दिवालिया हो;
			(ग)	नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है;
			(घ)	कहीं भी किसी परीक्षा के संचालन में किसी रूप में अनुचित आचरण का बढ़ावा देने में अथवा उसमें लिप्त होने, उसका संवर्द्धन करने के लिये दण्डित किया गया हो;
			(ङ)	वैतन या किन्हीं अन्य प्राधिकृत परिलब्धियों के सिवाय विश्वविद्यालय से किसी अन्य लाभ का उद्देश्य हो; तथा
			(च)	विश्वविद्यालय की निधि, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये उपयोजित करता हो।

अध्याय –6

परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम

परिनियम बनाने की शक्ति	36.	(1)		इस अधिनियम के अधीन निगमित तथा स्थापित विश्वविद्यालयों के प्रथम व संशोधित परिनियमों को प्रबन्धन मण्डल की संस्तुति पर व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाया जायेगा और परिनियमों को राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
		(2)		परिनियमों की प्राप्ति के तीन माह की अवधि के अन्दर राज्य सरकार परिनियमों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित करेगी अथवा अपने सुझावों के साथ संशोधन हेतु विश्वविद्यालय को लौटायेगी।
		(3)		इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में निम्न सभी या कोई विषय उपबन्धित किए जा सकेगें अर्थात्:–
			(क)	विश्वविद्यालयों के प्राधिकरण या जैसा कि समय–समय पर गठित किये जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
			(ख)	प्राधिकरण के सदस्यों के पद पर नियुक्ति और निरंतरता, प्राधिकरणों के रिक्त पदों को भरा जाना एवं प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी मामले, जिनके लिए ऐसा उपबन्ध करना आवश्यक होगा;
			(ग)	विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्ति और कर्त्तव्य तथा उनकी परिलब्धियां;
			(घ)	विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अन्य शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;
			(ङ)	विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की, एक संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;
			(च)	कर्मचारियों की सेवा शर्तों जिनमें सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं, लाभ, बीमा और भविष्य निधि, उनकी सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाही;
			(छ)	कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;
			(ज)	विश्वविद्यालय व इसके अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया;

			(झ)	अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करने एवं प्रदान करने हेतु शर्तें निर्धारित करना;
			(ञ)	विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया व उसका निस्तारण; '
			(ट)	मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;
			(ठ)	उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धित विशिष्टताओं को वापस लेना या निरस्त करना;
			(ड)	स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन;
			(ढ)	विभागों का सृजन, विलय तथा उन्मूलन;
			(ण)	छात्रों और कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;
			(त)	पदों का सृजन और उन्मूलन;
			(थ)	विश्वविद्यालय के विघटन/समापन की प्रक्रिया; और
			(द)	अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अनुसार हों या विहित किये जायें।
		(4)	प्रबन्धन मण्डल विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाला कोई ऐसा परिनियम न तो बनाएगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण_को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय व्यक्त करने का अवसर न दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर प्रबन्धन मण्डल द्वारा विचार किया जाय।	
अध्यादेश बनाने की शक्ति	37.	इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश प्रबन्धन मण्डल द्वारा बनाये जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित समस्त या उसमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:–		
		(क)	विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रुप में उनका नामांकन;	
		(ख)	विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण;	
		(ग)	शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम;	

		(घ)	उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उन्हें प्रदान या प्राप्त किए जाने हेतु अर्हताएं व उपाय निर्धारित करना;
		(ङ)	विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क तथा परीक्षाओं में प्रवेश, उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों हेतु प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;
		(च)	अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें
		(छ)	परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा समिति, परीक्षकों, निरीक्षकों, सारणीकारों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;
		(ज)	विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;
		(झ)	छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;
		(ञ)	ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियमों में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियों;
		(ट)	अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्विषयक अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;
		(ठ)	अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों, जिसमें व्यावसायिक निकाय या संघ भी हैं, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;
		(ड)	किसी ऐसे अन्य निकाय / समिति जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक महत्ता में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, का सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;
		(ढ)	परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किए जाने वाला पारिश्रमिक; और
		(ण)	अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित अन्य मामले।
विनियम बनाने की शक्ति	38.	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अन्य गतिविधियों के लिए ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के असंगत न हो।	
परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों का प्रकाशन	39.	इस अधिनियम के अधीन बनाए गये गये प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उन्हें अपनी वेवसाइट तथा पब्लिक डोमेन में अपलोड किया जाएगा।	

दीक्षांत समारोह	40.			उपाधियाँ, डिप्लोमा प्रदत्त करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह का आयोजन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथाविहित रीति के अन्तर्गत नियमित रूप से किया जाएगा।
विश्वविद्यालय का प्रत्यायन	41.			कार्यक्रमों के प्रारम्भ होने के पाँच, वर्षों की अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् का प्रत्यायन एवं ऐसे अन्य प्रत्यायन, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए जायें प्राप्त करेगा। वह ऐसे अन्य विनियामक निकायों जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित हों, से भी प्रमाणन/प्रत्यायन प्राप्त करेगा। वह विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त ग्रेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित करेगा। विश्वविद्यालय समय–समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीनीकरण सुनिश्चित करेगा।
				अध्याय–7 **विश्वविद्यालय की निधि एवं खाते**
स्थायी विन्यास निधि	42.	(1)		प्रायोजक निकाय द्वारा 05 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए राज्य सरकार के नाम से मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम 05 (पांच) करोड़ रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु 03 (तीन) करोड़ रूपये की एक स्थाई विन्यास निधि राष्ट्रीकृत बैंक की बैंक प्रत्याभूत (गारंटी) स्थापित की जायेगी, तथा समयावधि पूर्ण होने पर प्रति पांच वर्ष के पश्चात् नवीनीकृत किया जाता रहेगा तथा बैंक गारन्टी में प्रति पांच वर्ष में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
		(2)		स्थायी विन्यास निधि का उपयोग, प्रतिभूति धनराशि के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु उपयोग किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा इस अधिनियम के तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, या विनियमनों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में राज्य सरकार के पास विन्यास निधि के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भाग को जब्त करने की शक्ति निहित होगी।
		(3)		विन्यास निधि से होने वाली आय का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा अवसंरचनाओं के विकास अथवा विश्वविद्यालय के आवर्तक व्यय की पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।
सामान्य निधि	43.	(1)		विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि स्थापित करेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:–
			(क)	समस्त शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किये जायेंगे;
			(ख)	किन्हीं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशि;
			(ग)	प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

			(घ)	किसी अन्य व्यक्ति, संस्थाओं या निकायों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, द्वारा इस निमित किये गये सभी अंशदान।
		(2)	सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के विकास एवं उसके सुचारु संचालन हेतु व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।	
विकास निधि	44.	(1)	विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्,–	
			(क)	विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किये जा सकेंगे;
			(ख)	विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों हेतु अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;
			(ग)	प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान;
			(घ)	किसी अन्य व्यक्ति या निकायों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, द्वारा इस निमित किये गये सभी अंशदान; तथा
			(ङ)	स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
		(2)	विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।	
निधियों का अनुरक्षण	45.	अधिनियम के अधीन स्थापित सभी निधियाँ व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन यथा विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित की जायेंगी।		
वार्षिक प्रतिवेदन	46.	(1)	विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देश के अधीन तैयार किया जायेगा तथा उसे ऐसे दिनांक को जैसा विहित किया जाए, व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा। व्यवस्थापक मण्डल अपनी वार्षिक बैठक में प्रतिवेदन पर विचार कर उसे अनुमोदित करेगा।	
		(2)	अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन को प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व कुलाध्यक्ष व राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	
वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा	47.	(1)	विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र, प्रबन्धन मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखा–परीक्षा, प्रख्यात चार्टेड एकाउन्टेंट की अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक के अन्तराल पर करायी जाएगी।	
		(2)	लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखाओं व तुलन–पत्र की एक प्रति, प्रबन्धन मण्डल के प्रेक्षणों के साथ अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मण्डल को वार्षिक बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।	

		(3)	व्यवस्थापक मण्डल अपनी वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखा व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करके उसे अनुमोदित करेगा। व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखाओं पर किए गए प्रेक्षण, यदि कोई हो, प्रबन्धन मण्डल के संज्ञान में लाये जायेंगे। ऐसे प्रेक्षणों, यदि कोई हो, पर प्रबन्धन मण्डल द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के पश्चात लेखा प्रतिवेदन को अध्यक्ष के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
		(4)	व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक लेखा तथा तुलन–पत्र की प्रति प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व कुलाध्यक्ष एवं राज्य सरकार को सूचित करने तथा सम्बन्धित विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जायेगी।
		(5)	विश्वविद्यालय के खातों तथा लेखा–परीक्षा आख्या से उत्पन्न विषयों पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।
विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा	48.	विश्वविद्यालय राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता का हकदार नहीं होगा: परन्तु यह कि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा या राज्य/केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित अन्य निकाय या निगम द्वारा संचालित विशेष योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जाये।	

अध्याय–8
राज्य सरकार व नियामक निकायों की भूमिका

विश्वविद्यालय द्वारा नियामक निकायों के नियम, विनियमन, मानक आदि का अनुशरण	49.	इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय भारत सरकार के नियामक निकायों के सभी नियम, विनियमन, मानक आदि का पालन करने के लिए बाध्य होगा और उन्हें ऐसी सभी सुविधायें एवं सहायता प्रदान करेगा जिसकी उन्हें अपने कर्तव्य के निर्वहन एवं कार्य करने के लिए आवश्यक हो।
सूचना और अभिलेखों की माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति	50.	विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त व्यवस्था और अन्य मामलों या क्रियाकलापों आदि से सम्बन्धित सूचना या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा माँग की जाय।

राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की भूमिका	51.	(1)	विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय के रूप में, राज्य सरकार की व्यापक नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत और नियामक निकायों के विनियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा। राज्य सरकार तथा नियामक निकायों की भूमिका यह सुनिश्चित करने की रहेगी कि विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, और विनियमनों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करें तथा शैक्षणिक हितों के रचनात्मक समाधान हेतु राज्य सरकार और नियामक निकाय, आवधिक निरीक्षण सहित, हस्तक्षेप कर सकेंगे।
		(2)	राज्य सरकार, समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक मामलों हेतु निर्देश, जैसा वह आवश्यक समझे, जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो। ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकेगी।
		(3)	घोर कुप्रबंधन, अनाचार, निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गम्भीर दुरुपयोग, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफलता या आशय पत्र के प्रावधानों और इस अधिनियम की किसी धारा के प्रावधानों का गैर अनुपालन का अभिज्ञान होने पर राज्य सरकार नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय को 02 (दो) माह के भीतर कारण बताने को कहेगी।
		(4)	उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी नोटिस पर विश्वविद्यालय के प्रत्युत्तर से यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम व परिनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो वह ऐसी जांच कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।
		(5)	यदि, उपधारा (4) के अंतर्गत की गयी जाँच की आख्या प्राप्त होने पर राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम व परिनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय पर, दण्ड लगाने, नियामक निकायों को विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति अथवा विश्वविद्यालय के परिसमापन सहित, समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
		(6)	राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन के बिना विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी अचल सम्पत्ति को निस्तारित, विक्रय व स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
शुल्क	52.	(1)	प्रबन्धन मण्डल द्वारा समस्त प्रयोजनों हेतु शुल्क संरचना का विनिश्चय, विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मंडल द्वारा गठित, एक शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुति पर किया जाएगा। शुल्क निर्धारण समिति में प्रबन्धन मंडल, विद्या परिषद् से लिए गए सदस्यों के साथ कार्यक्रम और लेखा से सम्बन्धित वाह्य विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। प्रबन्धन मंडल का एक वरिष्ठ सदस्य शुल्क निर्धारण समिति की अध्यक्षता करेगा।

		(2)	प्रबन्धन मण्डल द्वारा नियत शिक्षण शुल्क निरन्तर 03 (तीन) शैक्षणिक वर्षो तक के लिए मान्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा नियत सभी शुल्क एवं प्रभार तथा शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्ण प्रकटीकृत एवं सार्वजनिक होंगे। किसी भी पाठ्यक्रम के पूरा होने की अवधि के दौरान नामांकित छात्र से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी।
		(3)	विश्वविद्यालय छात्रों से शुल्क निर्धारण समिति अथवा नियामक निकायों द्वारा नियत शुल्क के अतिरिक्त, कैपिटेशन शुल्क आदि जैसे कोई अन्य शुल्क, किसी भी रूप में, नहीं लेगा और शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं करेगा।
		(4)	प्रदत्त किए जाने वाले पाठ्यकर्मों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के स्तर का, पाठ्कर्मों को संचालित करने की लागत, मूलभूत सुविधाओं, शिक्षण व शोध की गुणवता और अन्य सुविधाओं के साथ एक उचित सम्बन्ध होना चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम और सत्र में प्रवेश प्रारम्भ करने से पूर्व प्रवेश प्रकिया एवं शुल्क संरचना को विश्वविद्यालय की विवरणिका में प्रकाशित किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
		(5)	विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क निर्धारण की पूरी प्रकिया एवं अभिलेखों को संरक्षित रखा जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को सूचना हेतु एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम विचार हेतु भेजी जायेगी।
		(6)	किसी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी छात्र द्वारा शुल्क निर्धारण के गलत होने, निर्धारित एवं सार्वजनिक किए गए शुल्क से अधिक शुल्क या धन की माँग से सम्बन्धित, व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष की गई किसी लिखित शिकायत के दर्ज होने की दशा में व्यवस्थापक मण्डल या तो स्वयं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम के मानकानुसार गठित छात्र शिकायत निवारण समिति के माध्यम से मामले को निस्तारित करेगा।
		(7)	व्यवस्थापक मण्डल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति के निर्णय से असन्तुष्ट कोई छात्र मामले को, सहायक अभिलेखों के सहित, विश्वविद्यालय के निर्णय आने के दो माह के भीतर राज्य सरकार को संदर्भित कर सकेगा।
		(8)	राज्य सरकार मामले का परीक्षण कर निर्णय लेगी और उसका निर्णय अन्तिम होगा।
दण्ड का प्रावधान	53.	(1)	जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत, परीक्षा के किसी मामले या प्रवेश व उपाधि प्रदत्त करने सम्बन्धी मामले या अंकपत्र देने अथवा शुल्क से सम्बन्धित मामलों या शिक्षकों की नियुक्ति के मामलों के लिए, बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उलंघन करेगा, वह दोष सिद्ध होने पर, ऐसी धनराशि के जुर्माने से, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित

			की जाय, दण्डनीय होगा : परन्तु यह कि, जहाँ इस अपराध में विश्वविद्यालय भी संलिप्त हो तो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय संचालित करने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार–पत्र वापस लिया जा सकेगा।
		(2)	इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से न्यून, किसी न्यायालय द्वारा नही किया जायेगा और प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार अथवा उनके द्वारा इस निमित साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा, लिखित में, प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर ही ऐसे अपराध का संज्ञान लिया जायेगा।
		(3)	किसी अन्य अधिनियम में निहित दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
			अध्याय –9 विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन
विश्वविद्यालय का विघटन/ परिसमापन	54.	(1)	यदि प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय को विघटित करने का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम एक वर्ष पूर्व का नोटिस लिखित रुप में देगा।
		(2)	उपधारा (1) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के विघटन की तिथि से लेकर उसके नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के अन्तिम बैच का पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या पूर्ण होने तक के लिए, विश्वविद्यालय के प्रशासन हेतु ऐसी व्यवस्था इस प्रकार करेगी जैसी विहित की जाये।
		(3)	धारा–51 की उपधारा (5) के उपबन्धों के क्रम में यदि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेती है, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत वह विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी; परन्तु यह कि, विश्वविद्यालय के परिसमापन की कार्यवाही प्रायोजक निकाय को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
		(4)	उपधारा (2) व (3) के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन या परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन या परिसमापन का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनाँक से विश्वविद्यालय विघटित/परिसमाप्त हुआ माना जायेगा और विश्वविद्यालय की सभी शेष आस्तियां एवं देनदारियां उक्त दिनॉक से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगी;

		(5)	उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।
विघटन/ परिसमापन के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय	55.	(1)	जब राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन या परिसमापन का निर्णय ले लिया जाये, तो विश्वविद्यालय के विघटन/परिसमापन की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए होने वाले व्ययों का भुगतान स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।
		(2)	यदि उपधारा (1) में वर्णित निधियाँ विश्वविद्यालय के व्ययों व देनदारियों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय व देनदारियों की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों को विक्रय कर की जा सकेगी।
अध्याय –10 प्रकीर्ण और संक्रमणकालीन उपबन्ध			
शिक्षकों का कर्तव्य	56.	विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक समय–समय पर उसे विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गये शैक्षणिक, अनुसंधान, परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों व अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।	
परीक्षा सम्बन्धी कार्य करने की बाध्यता	57.	कोई भी व्यक्ति जिसे प्रश्न पत्र तैयार करने, अन्तरीक्षकों, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, व्यावहारिक परीक्षा सम्पन्न कराने, सारणीकरण तथा अंकतालिका को तैयार करने व परीक्षा सम्बन्धित अन्य कार्य सौंपे जाते हैं, तो वह अपने कर्तव्य का निर्वहन विवेकपूर्वक व अत्यन्त निष्ठा से करेगा।	
विवरणी और जानकारी	58.	विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त और अन्य मामलों या गतिविधियों आदि से संबंधित ऐसी जानकारी या अभिलेख प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांगा जायेगा।	
कर्मचारियों की सेवा शर्तें आदि	59.	(1)	प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जाएगी, जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा रखी जायेगी तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
		(2)	कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संगत परिनियम में विहित प्रक्रिया के अधीन होंगी।
		(3)	विश्वविद्यालय एवं किसी पूर्णकालिक नियुक्त कर्मचारी के मध्य विवाद का निस्तारण कुलपति को सन्दर्भित किया जायेगा। कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कुलपति विवाद का निस्तारण सन्दर्भित किये जाने की तिथि से 03 (तीन) माह के भीतर करेगा।
		(4)	अस्थायी या तदर्थ या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी से सम्बन्धित विवाद को कुलपति द्वारा सुना एवं निर्णित किया जायेगा।

		(5)	कुलपति के आदेश से असन्तुष्ट कर्मचारी को ऐसे आदेश की सूचना या जानकारी के दो माह के भीतर अध्यक्ष के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
		(6)	इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रायोजन के लिये, या अन्यथा, विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेंगे।
अपील का अधिकार	60.	विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण, यथास्थिति के विनिश्चय के विरूद्ध ऐसे समय के भीतर जैसा परिनियमों द्वारा विहित हो, विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और व्यवस्थापक मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उलट सकेगा।	
शिकायत निवारण समिति	61.	(1)	शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ–साथ उसके विभागों के छात्रों की शिकायत पर विचार करने, उन्हें सुनने और जहाँ तक सम्भव हो तीन माह के भीतर उनका निवारण करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय की एक शिकायत निवारण समिति होगी। समिति उसके द्वारा निपटान की गई शिकायतों की आवर्ती आख्या प्रबन्धन मंडल को देगी।
		(2)	शिकायत निवारण समिति का गठन, उसकी शक्ति, कार्य और शिकायतों के निपटान करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित हो या नियामक निकायों के विनियमों में दी गयी हो।
भविष्य निधि एवं पेंशन	62.	विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए जैसा उचित समझें ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधियों या कल्याणकारी योजनाओं का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था ऐसी रीति और शर्तों के अध्यधीन करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।	
प्राधिकरणों और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद	63.	यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।	
आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	64.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सभी आकस्मिक रिक्ति (पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों) की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायेगी जो उस सदस्य, जिसकी जगह रिक्त हुई है को नियुक्त, चयनित या सहयोजित करता है, और ऐसी आकस्मिक रिक्ति हेतु नियुक्त, चयनित या सहयोजित व्यक्ति उस अवशिष्ट अवधि के लिए सदस्य होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।	

रिक्तियों के कारण प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाही का अमान्य न होना	65.	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण व अन्य निकाय के गठन में किसी त्रुटि अथवा किसी रिक्ति मात्र के कारण प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के प्रति संरक्षण	66.	विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में संस्थित नहीं की जा सकेगी जिसे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किया गया हो, या किये जाने हेतु आशयित हो।
विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की विधि	67.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की कोई रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही/संकल्प या अन्य दस्तावेज या पंजिका में प्रविष्टि जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किये गये हों, तो ऐसी रसीद, आवेदन; सूचना, आदेश, कार्यवाही/संकल्प या अन्य दस्तावेज या पंजिका में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय को संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की जाती तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होती।
सरकार की नियम बनाने की शक्ति	68.	सरकार, इस अधिनियम के सभी अथवा किसी उददेश्य के कियान्वयन के लिए नियम बना सकती है।
कठिनाईयों के निवारण की शक्ति	69.	(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 03 (तीन) वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।
		(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
उत्तराखण्ड के न्यायालय में विवादों का निस्तारण	70.	इस अधिनियम व इसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के उपबन्धों के परिणाम स्वरुप उत्पन्न सभी विवादो का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
अध्यारोही प्रभाव	71.	इस अधिनियम व इसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के उपबन्धों का निजी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में राज्य विधान सभा द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रतिकूल होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव रहेगा।

निरसन और व्यावृत्ति	72.	(1)	इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् इस अधिनियम की अनुसूची–1 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित समस्त अधिनियम निरसित हो जायेंगे।
		(2)	उपधारा (1) में वर्णित अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के निरसित होते हुए भी, ऐसे निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये सभी निर्णय, किये गये कार्यों, शक्तियों एवं सृजित समस्त दायित्व इस अधिनियम के अधीन मान्य समझे जायेगें।.
		(3)	निरसित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश या नियम एवं विनियम इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाये गये नये परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के बनाये जाने तक प्रभावी रहेंगे: परन्तु यह कि निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय जो कि अब इस अधिनियम के अधीन निगमित एवं स्थापित किये गये हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपने परिनियम अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।
संक्रमणकालीन उपबन्ध	73.	इस अधिनियम व परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी:–	
		(क)	प्रायोजक निकाय प्रथम अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
		(ख)	प्रथम कुलपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति एवं ऐसी शर्तो के अधीन की जायेगी, जैसा वह उचित समझे एवं कुलपति 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
		(ग)	प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति एवं ऐसी शर्तो के अधीन की जायेगी जैसा वह उचित समझे एवं उक्त अधिकारी 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;
		(घ)	प्रथम व्यवस्थापक मण्डल का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा; एवं
		(ङ)	अध्यक्ष द्वारा प्रथम प्रबन्धन मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद का गठन, 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिये, किया जाएगा।
अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय	74.	इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उत्तराखण्ड राज्य के धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा यथा प्रत्याभूत विशेषाधिकार प्राप्त करते रहेंगे।	

अनुसूची–1

स्थापित निजी विश्वविद्यालय

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
1.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्रीकुन्ज–शान्तिकुन्ज, हरिद्वार–249411	देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 सन् 2002)।	श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार
2.	यूपीईएस, पो0ओ0–विधोली, वाया–प्रेमनगर, देहरादून–248007	पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 15 सन् 2003) ।	हाईड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, 210, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रीयल स्टेट, फेज 3 , ओखला, नई दिल्ली, 110020
3.	इक्फाई विश्वविद्यालय राजावाला रोड़, सेन्ट्रल होप टाऊन, सेलाकुई, देहरादून–248011	इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 सन् 2003)।	द इक्फाई सोसाइटी, हैदराबाद, तेलंगाना
4.	हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, पो0ओ0 शेरपुर, चकराता रोड़, देहरादून।	हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 17 सन् 2003)।	तालीम रिसर्च फाउंडेशन, अहमदाबाद, गुजरात
5.	पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजली योगपीठ, रूड़की--हरिद्वार रोड़, हरिद्वार।	पंतजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 सन् 2006)।	द पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट), नई दिल्ली
6.	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, बेल रोड क्लेमेंनटाऊन, देहरादून	उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 सन् 2011)।	ग्राफिक एरा एजूकेशन सोसाईटी, 566/6, बैल रोड़, क्लेमेण्ट टाउन, देहरादून–248002
7.	डी आई टी विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड, मक्कावाला, देहरादून–248009	डी आई टी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 10 सन् 2013)।	यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन, तृतीय तल, प्रशासनिक ब्लॉक, आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, ग्राम मक्कावाला, उत्तराखण्ड–248009
8.	आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड, मक्का वाला, देहरादून–248009	आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 13 सन् 2013)।	यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन, तृतीय तल, प्रशासनिक ब्लॉक, आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, ग्राम मक्कावाला, उत्तराखण्ड–248009

9.	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, आरकेडिया ग्रांट चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून 248007, उत्तराखण्ड	उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11 सन् 2013)।	सुशीला देवी सेंटर फॉर प्रोफेसनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी, आरकेडिया ग्रान्ट, पोस्ट ऑफिस चन्दनबाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड
10.	स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौलीग्रांट, देहरादून–248140, उत्तराखण्ड	हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 सन् 2013)।	हिमालयन इंस्टीट्यूट हास्पीटल ट्रस्ट, स्वामी राम नगर, जौलीग्रांट, देहरादून–248061, उत्तराखण्ड
11.	मदरहुड विश्वविद्यालय, करौंदी, भगवानपुर, रूड़की (हरिद्वार)	मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 सन् 2015)।	मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नॉलोजी सोसाईटी, ग्राम करौंदी, पोस्ट भगवानपुर, रूड़की
12.	भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय, उत्तरी झण्डी चौर, कोटद्वार, जिला–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 39 सन् 2016)।	भगवंत एजूकेशन फाऊंडेशन, नई दिल्ली
13.	महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, धेद गांव, ब्लॉक पोखरा, जिला पौड़ी गढ़वाल, 246169, उत्तराखण्ड	हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 33 वर्ष 2016)।	जनकल्याण एजूकेशनल ट्रस्ट, 13 नवीन पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद
14.	रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, कोटरा संतूर, नंदा की चौकी, देहरादून 248007, उत्तराखण्ड	रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–35 सन् 2016)।	डॉ जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट, देहरादून
15.	श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय, वेस्ट पटेल नगर, पटेल नगर, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड	श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 03 वर्ष 2017)।	श्री गुरू राम राय मिशन शिक्षा सोसाइटी, देहरादून
16.	क्वॉन्टम विश्वविद्यालय, रूड़की–देहरादून हाईवे, मंदावार, रूड़की–247167 उत्तराखण्ड	क्वॉन्टम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2017)।	एल एम डी एजुकेशनल एण्ड रिसर्च फांऊडेशन (ट्रस्ट), 14/1, न्यू रोड़, देहरादून

17.	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, गूलर घाटी रोड़ बालावाला, देहरादून–248161, उत्तराखण्ड	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 सन् 2018)।	गौरव भारती शिक्षा संस्थान सोसाईटी, देहरादून।
18.	हिमालयीय विश्वविद्यालय, फतेहपुर टाण्डा, देहरादून	हिमालयीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तराखंण्ड अधिनियम सं0 08 वर्ष 2019)।	हिमालयीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्था, देहरादून।
19.	कोर यूनिवर्सिटी, 07–कि0मी0 रूड़की–हरिद्वार रोड़, वर्धमानपुरम, रूड़की, जिला हरिद्वार	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी रूड़की अधिनियम, 2020(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2021)	सेठ रोशन लाल जैन न्यास, 07–कि0मी0 रूड़की–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, वर्धमानपुरम, रूड़की, जिला हरिद्वार
20.	सूरजमल विश्वविद्यालय, ग्राम दोपहरिया, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड	सूरजमल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2021)	सूरजमल लक्ष्मीदेवी सावरथिया एजूकेशनल ट्रस्ट, किच्छा, ऊधमसिंहनगर
21.	देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, नौगांव, माण्डुवाला, देहरादून	देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2021)	उत्तराखण्ड उत्थान समिति, 32/4 ई0सी0 रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड
22.	हरिद्वार विश्वविद्यालय, 5 किमी, रूड़की–हरिद्वार कनोल रोड़, ग्राम बाजूहेडी, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	हरिद्वार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2023)	सत्यम एजुकेशनल सोसाइटी, रूड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रूड़की टू हरिद्वार कनोल रोड़, बाजूहेडी, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड 247667

अनुसूची–2

इस अधिनियम के तहत स्थापित एवं निगमित निजी विश्वविद्यालय

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
1.			
2.			
3.			
4.			

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रदेश में अलग–अलग अधिनियमों द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित किये गये हैं। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में भिन्न–भिन्न उपबन्ध हैं एवं उनके अनुश्रवण हेतु कोई समान व्यवस्था नहीं है। अतएव किसी एक ही विधि के अधीन समस्त निजी विश्वविद्यालयों को शासित करने के उद्देश्य से एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्याः 109 /XXIV-C-3/2024-13(11)2018(Comp no 32176)
देहरादून, दिनांकः 31 जनवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी, 2024 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

Signed by Byomkesh Dubey
Date: 31-01-2024 13:22:51

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव

संख्या : 109 (1)/XXIV-C-3/2024-13(11)2018(Comp no 32176), तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
9. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. समस्त कुलपति, निजी विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लिथोप्रेस, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0बेरी)
अनु सचिव